# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 35/2013

1 चावली देवी पत्नी फूलाराम।
2 रणजीत पुत्र फूलाराम।
3 विजयपाल पुत्र फूलाराम।
4 सुगनी पुत्री फूलाराम।
5 मक्खनी पुत्री फूलाराम।
6 सुमित्रा पुत्री फूलाराम।
7 सरिता पुत्री फूलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण संतोषपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 गोविन्दा मृतक।
1/1 ग्यारसीलाल पुत्र गोविन्दा।
1/2 चौथमल पुत्र गोविन्दा।
1/3 झाबरमल पुत्र गोविन्दा।
1/4 राजू पुत्र गोविन्दा।
1/5 गुलाबी देवी पत्नी गोविन्दा।
1/6 सोहनी देवी पुत्री गोविन्दा।
1/7 मोहनी देवी पुत्री गोविन्दा।
1/8 सुवा देवी पुत्री गोविन्दा समस्त जाति जाट निवासीगण पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
1/9 मनभर पुत्री गोविन्दा पत्नी नवीन निवासी मिठार वालो की ढ़ाणी रींगस जिला सीकर।
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी उनवानी प्रकरण
गोविन्दा बनाम फूला दावा संख्या 83/2010
निर्णय दिनांक 29.07.2011 न्यायालय सहायक
कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2010 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला के यहां दावा प्रस्तुत कर अंकित किया की ग्राम संतोषपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 381,382,383,384,386,387,388,389,401,406,415,422 कुल किता 12 कुल रकबा 7.32 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा का वादी व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 1 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 आपस में सगे भाई है एवं उक्त कृषि भूमि पैतृक भूमियां है वादग्रस्त भूमियों का मौके पर कदीम से बाहमी बंटवारा किया जाकर अलग—अलग काबिज काश्त है। जिसके मुताबिक वर्णित भूमियों के खसरा नम्बर 381 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 383 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.81 हैक्टेयर सम्पूर्ण व 406 रकबा 2.0 हैक्टेयर के 1/2 भाग पश्चिमी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व 415 रकबा 0.60 हैक्टेयर के 1/2 भाग पूर्वी तरफ अकेले वादी के हिस्से मे आयी है तथा शेष भूमि प्रतिवादी के हिस्से में होना अंकित करते हुए इसी अनुसार अलग नम्बर डाले जाकर बंटवारा किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2011 को उक्त दावा डिक्री कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता की तामील सम्यक नही हुई है। तामील कुनिन्दा द्वारा तामील पर दिनांक भी अंकित नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील के अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही विधि विरूद्व रूप से की गई है। अपीलांट के पिता की दिनांक 11.08.2010 को मृत्यु हो चुकी थी वादी अपीलांट के पिता का सगा भाई था। वादी को अपीलांट के पिता की मृत्यु की जानकारी थी। इसके उपरान्त भी वादी ने अपीलांट के पिता के मृत्यु पर कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि विरूद्व है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता की तामील सम्यक नही हुई है। तामील कुनिन्दा द्वारा तामील पर दिनांक भी अंकित नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील के अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही विधि विरूद्व रूप से की गई है। अपीलांट के पिता की दिनांक 11.08.2010 को मृत्यु हो चुकी थी वादी अपीलांट के पिता का सगा भाई था। वादी को अपीलांट के पिता की मृत्यु की जानकारी थी। इसके उपरान्त भी वादी ने अपीलांट के पिता के मृत्यु पर कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुन निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर